

## वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

सहायक कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/02-(दो)/2022/12194-  
दिनांक: 23-2-22

सेवा में,

प्रबन्धक,  
शिवमंगल महिला महाविद्यालय,  
परदहा जमीन परदहा, बेला सुल्तानपुर, मऊ।

विषय:- प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 31.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि शिवमंगल महिला महाविद्यालय, परदहा जमीन परदहा, बेला सुल्तानपुर, मऊ की दिनांक 30.01.2022 को निर्वाचित प्रबन्ध समिति को महाविद्यालय की प्रशासन योजना के अनुसार पाँच वर्ष हेतु (दिनांक 30.01.2022 से 29.01.2027 तक), मा० कुलपति जी ने विचारोपरान्त उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करने की कृपा की है :-

| क्र.स. | नाम                   | पिता/पति का नाम                                 | पता                                                             | पद नाम     |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | श्री कमलेश यादव       | श्री हरिलाल यादव                                | ग्राम-केवलापुर, पोस्ट-<br>भेलाबांध, कोपागंज, मऊ।                | अध्यक्ष    |
| 2      | श्रीमती देवन्ता यादव  | पुत्री स्व० मोलई यादव<br>पत्नी स्व० बुनमुन यादव | ग्राम-परदहा जमीन<br>परदहा, पोस्ट-बेला<br>सुल्तानपुर, मधुबन, मऊ। | प्रबन्धक   |
| 3      | श्री बृकेश यादव       | स्व० राम अवतार यादव                             | ग्राम व पोस्ट-पकडी,<br>सिपाह इब्राहिमाबाद, मऊ।                  | कोषाध्यक्ष |
| 4      | श्री रविन्द्रनाथ यादव | स्व० इन्द्रदेव यादव                             | ग्राम-कवला पट्टी, पोस्ट-<br>बाउडीह, मधुबन, मऊ।                  | सदस्य      |
| 5      | श्री रामशब्द यादव     | स्व० राजदेव यादव                                | ग्राम व पोस्ट-पकडी,<br>सिपाह इब्राहिमाबाद, मऊ।                  | सदस्य      |

उपरोक्त प्रबन्ध समिति में प्राचार्य पदेन सदस्य होंगे तथा शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम में ज्येष्ठता क्रम में सम्बद्ध परिनियमों में अधिकथित प्राविधानों के अनुसार होगा।

सहायक,  
23/2/22  
सहायक कुलसचिव